104

Government. The grant is given in three instalments and the institutions are required to submit an audited statement of accounts and Utilisation Certificate duly signed by a Chartered Accountant; a Completion Certificate signed by the State P. W. D., is also necessary.

Ban on Naxalites

6543. SHRI CHENGALRAYA NAIDU: SHRI JAI SINGH: SHRI YAJNA DATT SHARMA: SHRI HARDAYAL DEVGUN: SHRI RAGHUVIR SINGH: SHASTRI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the Chief Minister of Tamil Nadu has urged the Centre to ban Naxalites;
- (b) if so, whether other Chief Ministers have also requested the Centre for this ban;
- (c) whether the activities of the Naxalites have increased to such an extent that it has become impossible for the States to check their activities;
- (d) whether these Naxalites are being helped by foreign countries; and
- (e) whether in view of this demand by the State Governments, the Government of India are considering to ban these Naxalites and also to form a Central force to crush their activities in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) and (b). No such communication has been received from any Chief Minister.

- (c) It cannot be said that the activities of the extremists have been on the increase.
- (d) There is no such information available with the State Governments/Union territory administrations of Gujarat, Haryana, Nagaland, Punjab, Rajasthan, Andaman &

Nicobar Islands, Chandigarh, Dadar and Nagar Haveli, Goa, Daman and Diu, Himachal Pradesh, Laccadive, Minicoy and Amirdivi Islands, Manipur, Nefa and Pondicherry. Information from the remaining State/Union territories is awaited.

(c) Home Minister had discussed with opposition leaders in Parliament some legislative proposals to deal with the activities of extremists. Since the response was not encouraging the proposals were not pursued. A close watch on the activities of the extremists in the country is being maintained.

पश्चिम बंगाल, राजस्थान और जम्मू तथा काइमीर में हथियारों तथा गोलाबारूद की बरामवगी

6544. श्री श्रीगोपाल साबू: श्री मारत सिंह चौहान: श्री जगन्नाय राव जोजी: श्री रामगोपाल ज्ञालवाले: श्री हुकमचन्व कछ्नवाय:

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान और काश्मीर में भारी मात्रा में हथियार तथा गोला बारूद बरामद हुआ है;
- (स) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1967 से लेकर आज तक उपरोक्त राज्यों में कितने हथियार तथा गोलाबारूद पकड़ा गया ;
- (ग) क्यायह भी सच है कि इनमेंसे अधिकतर हथियारों तथा गोलाबारूद पर विदेशीनिशान थे:
- (घ) विदेशी हथियारों तथा गोलाबारूव को देश में चोरी-छिपे लाये जाने को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

106

(ङ) इस सम्बन्ध में कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में मामले दायर किये गये हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (भी विद्या-चरण शुक्ल): (क) से (ङ). पश्चिम बंगाल, राजस्थान तथा जम्मू व कश्मीर सरकारों से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उपलब्ध होने पर सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

अस्मूतया काश्मीर में पाकिस्तानी तथा चीनी जासूसों की गिरफ्तारी

6545. श्री जनेश्वर मिश्रः श्री यशवन्त सिंह कुशवाहः श्री अविचनः श्री चॅगलराया नायडूः

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि हाल में जम्मू तथा काक्सीर क्षेत्र में एक चीनी तथा दो पाकि-स्तानी जासूस जासूसी करते हुए पकड़े गये थे ; और
- (स्त) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?
 गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री
 विद्याचरण शुक्ल): (क) और (स्त). हाल में
 जम्मू तथा काश्मीर में दो व्यक्ति पाकिस्तान
 का एजेन्ट होने के सन्देह में तथा एक व्यक्ति
 चीनी राष्ट्रिक होने के सन्देह में गिरफ्तार
 किया गया। इस मामले में जांच की जा रही
 है और उसके ब्यौरे प्रकट करना लोक-हित में
 नहीं होगा।

सभी राज्यों में समान जेल नियमावली की आवश्यकता

6546. श्री रामावतार शास्त्री: श्री रघुवीर सिंह शास्त्री: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्यायह सच है कि देश की विभिन्न जेलों में उन नियमाविलयों का पालन किया जा रहा है जो ब्रिटिश काल में बनाई गईं थी;
- (स्त) क्यायह भी सच है किये नियमा-वलियांसभी राज्यों में एक समान नहीं हैं;
- (ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी राज्यों के लिए समान जेल नियमावली बनाने का है ताकि वर्तमान लोक तंत्रात्मक ढांचे में कैंदी सम्मानजनक जीवन ब्यतीत कर सके; और
- (घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या-**चरण शुक्ल): (**क) से (घ). ''कारागार'' पूर्णतः राज्यों के क्षेत्राधिकार का विषय है और उनके प्रशासन के लिए नियमावलियां सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर पुनरीक्षित की जाती हैं। तथापि, राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे अखिल भारतीय जेल नियमावली समिति द्वारा संकलित आदर्श कारागार नियमावली के आधार पर अपनी वर्तमान जेल नियमावलियों के पुनरीक्षण या संशोधन पर विचार करें। तदनुसार कई राज्यों ने आदर्श नियमावली को घ्यान में रखकर अपनी नियमावलियां पुनरीक्षित कर दी हैं और कई अन्य राज्य पुनरीक्षण करने का विचार कर रहे हैं। राज्यों की नियम।विलयों के पुनरीक्षण के बारे में राज्यवार स्थिति बतलाने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिये संख्या LT-3224/70]